

गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम द्वारा सहयोगात्मक शिक्षा का विकास

सीमा खेर*

प्रस्तावना

समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए व्यक्तियों के आपसी सहयोग को एक मुख्य कारक माना जा सकता है जबकि नकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रतियोगिता को उत्तरदायी माना जा सकता है। अतः समाज को स्थिरता प्रदान करने हेतु सहयोग की भावना विकसित करने की आवश्यकता है और इस भावना को विकसित करने तथा समाज को प्रगति की ओर ले जाने में शिक्षा, मुख्य भूमिका अदा करती है। इस के लिए पाठ्यक्रमों को इस तरह परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की गई जो सहयोग वृद्धि में सहायक हों।

पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता

सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ पाठ्यक्रम का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है तथा व्याख्यान विधि एवं अध्यापक-केंद्रित विधियों के बजाय छात्र-केंद्रित विधियों, समूह शिक्षण एवं वर्ग विधियों को महत्व दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कक्षा में छात्रों

एवं शिक्षकों की स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा है। शिक्षक जो कक्षा में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा था अब पृष्ठभूमि में जा रहा है। अतः पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मुदालियार शिक्षा आयोग (1953) ने ऐसे पाठ्यक्रम के विकास पर बल दिया जो छात्रों की मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों, योग्यताओं एवं परिवर्तनशील तथा विकासशील सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे एवं सहयोग शिक्षा को बढ़ावा दे। इसी प्रकार शिक्षा आयोग (1964–66) ने नवीन शिक्षण विधियों एवं छात्रों को अधिगम के समस्त अवसरों को प्रदान करने हेतु लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया। इसी तरह यशपाल समिति (1992) ने भी ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महत्व दिया जो व्यक्तिगत अधिगम के स्थान पर सामूहिक अधिगम एवं कार्यों को प्रोत्साहित करे। सहयोगी अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु किए गए शोधकार्य में पासी एवं गिध (1994) ने पाया कि

* वरिष्ठ सलाहकार, प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नवी दिल्ली

सहयोगी अधिगम छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाता है, साथ ही छात्र व्यक्तिगत अधिगम की अपेक्षा सहयोगी अधिगम को अधिक पसंद करते हैं। इसी तरह पासी एवं पुण्डीर (1994) ने अपने शोध पत्र में सुझाव दिया कि स्कूल में प्रतियोगी एवं तनावभरी शिक्षा हटाकर सहयोग-आधारित शिक्षा प्रणाली लानी होगी। इस हेतु ऐसे पाठ्यक्रम के विकास की, जो सहयोग की भावना उत्पन्न करे तथा सहयोग द्वारा अधिगम प्राप्तकर्ता में निहित समस्त कौशलों एवं योग्यताओं को भी निखारने का अवसर प्रदान करे, आवश्यकता महसूस की गई। इस कारण गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम को उपयुक्त माना गया।

गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम का विकास
सर्वप्रथम गतिविधि-आधारित अधिगम की संकल्पना का उदय लगभग 1635 में हुआ जिसने गतिविधि के माध्यम से ज्ञानार्जन के सिद्धांत पर बल दिया। गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम में जॉन डीवी का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

डीवी के अनुसार ज्ञान, क्रिया का परिणाम है क्योंकि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है एवं अनुभव क्रिया से। अतः उन्होंने क्रिया अर्थात् गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर बल देते हुये इसे क्रिया प्रधान या अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम कहा एवं पाठ्यक्रम के निर्माण में तीन मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया —

- (i) पाठ्यक्रम बालकों की रुचि व अवस्था के अनुसार हो;
- (ii) उनमें उत्प्रेरक बातों का समावेश हो; एवं

(iii) विषय का ज्ञान अनुभव के आधार पर हो।

डीवी ने इन तीन बिंदुओं के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम को क्रिया या गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम का नाम दिया।

जॉन डीवी द्वारा प्रस्तुत गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम की संकल्पना से प्रभावित होकर पुणे के एस.पी.एम.माध्यमिक स्कूल में प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक गतिविधि-आधारित अंतर्विषयक कार्यक्रम चलाया गया तथा शिक्षक-प्रशिक्षण स्तर पर सर्वप्रथम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) द्वारा वर्ष 1991-92 में गतिविधि-आधारित बी.एड. प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। ऐसा ही प्रयोग इंदौर के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु अपनाया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2005 में आनंददायी शिक्षण व तनावरहित शिक्षा हेतु गतिविधि-आधारित शिक्षा पर बल दिया गया तथा एकता एवं प्रजातंत्र की भावना तथा सामाजिक संबंधों को पाठ्यक्रम द्वारा सुधारने पर बल दिया गया। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2009 में शिक्षकों के निरंतर विकास के लिए शिक्षक शिक्षा में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर बल दिया गया।

गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन

इस पाठ्यक्रम में छात्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयवस्तु को स्वयं पढ़कर अथवा अपने साथियों के सहयोग द्वारा उसे समझकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उस विषयवस्तु का प्रस्तुतिकरण

अपनी कक्षा के समस्त साथियों के समक्ष स्वेच्छा से गतिविधि के माध्यम से करते हैं जिसमें वे खेल, नाटक, प्रदर्शनी, परियोजना, सेमिनार और प्रश्नोत्तरी इत्यादि गतिविधियाँ प्रस्तुत करते हैं तथा इनका मूल्यांकन एवं मूल्यांकन के मापदंड सभी छात्र एवं उनके शिक्षक मिलकर तय करते हैं। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक औपचारिक शिक्षण नहीं करता वरन् अनौपचारिक रूप से छात्रों को विषयवस्तु समझने में तथा गतिविधियों के चयन और उनके आयोजन में मदद करता है। वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है और उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करता है। उदाहरणस्वरूप, इस पाठ्यक्रम के तहत शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत प्रायोगिक संकल्पनाओं को समझने के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्य विषयों की विषयवस्तुओं को आपसी सामंजस्य से वितरित कर शैक्षिक तकनीकी के उपयोग द्वारा उन्हें साथी प्रशिक्षकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस तरह शैक्षिक तकनीकियों का अभ्यास एवं उनके साथ अन्य विषयों का अध्ययन परस्पर सहयोग एवं विभिन्न गतिविधियों द्वारा किया जाता है।

गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम की सहयोगात्मक शिक्षा के विकास हेतु सार्थकता

- गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम में विषयवस्तु एवं गतिविधि के मध्य सामंजस्य पाया गया।
- अधिगम प्राप्तकर्ता एवं गतिविधियों के स्तरों के मध्य सामंजस्य पाया गया।

- शिक्षक निर्देशक नहीं वरन् मार्गदर्शक, सहयोगी एवं पर्यवेक्षक के रूप में।
- अधिगम प्राप्तकर्ता ओं द्वारा गतिविधियों का चयन किया जाता है।
- शिक्षक द्वारा शिक्षण के स्थान पर स्वअधिगम।
- विषयवस्तु की प्रकृति के अनुरूप उनका एकीकरण एवं पृथकीकरण।
- उपलब्ध समय, साधन एवं सुविधा के आधार पर व्यावहारिक गतिविधियों का सम्मिश्रण।
- मौलिक गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- गतिविधियों के चयन में लचीलापन।
- विषयवस्तु का समान वितरण, प्रशिक्षणार्थियों के आपसी सहयोग द्वारा समान वितरण।
- सहयोगी गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- सतत एवं सामूहिक मूल्यांकन जिसमें प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना का विकास।
- यह पाठ्यक्रम सहयोगी अधिगम का विकास करता है और विद्यार्थियों को उनकी अभिक्षमताओं को निखारने का अवसर प्रदान करता है साथ ही सामाजिक मूल्यों में विशेषकर सहयोग वृद्धि में भी सहायक है।

गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम

एवं सहयोग वृद्धि

आज समाज में प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप जहाँ स्थिर, संकुचित एवं स्वार्थी समाज का निर्माण हो रहा है ऐसे समय में स्थिर प्रगतिवादी एवं व्यापक विचारों वाले समाज की प्राप्ति हेतु आपसी सहयोग की आवश्यकता है जैसा कि बन्दिष्ठे (1991) ने कहा है — “सहयोग से अभिप्राय दो या दो से

अधिक व्यक्तियों के उस सम्मिलित प्रयास से है जब वे अपनी सामर्थ्य से बाहर स्थित किसी उद्देश्य की प्राप्ति आपसी सहभागिता के द्वारा करते हैं।” अतः जैसे समाज की कल्पना हम करते हैं उसे सहयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का एक सबल माध्यम होने के साथ-साथ समाज का दर्पण भी होता है इसलिए आवश्यक है कि स्थिर, प्रगतिवादी एवं व्यापक विचारों वाले समाज का निर्माण करने हेतु उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण हो।

अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के समाज की प्राप्ति के लिए सहयोग वृद्धि हेतु गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम किस प्रकार उपयोगी है? इस संदर्भ में अनेक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि पाठ्यक्रम का निर्माण क्रियाशीलता एवं सहयोगिता के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। बच्चा जो कुछ सीखना चाहता है वह सहयोगी क्रियाओं द्वारा सरलता से सीख सकता है। जॉन डीवी क्रियाशीलता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि खेल के मैदान, वर्कशॉप, प्रयोगशाला आदि में कार्यरत रहने से बच्चों में अधिगम वृद्धि के साथ-साथ सहयोग एवं सहानुभूति की भावना जाग्रत होती। इसकी पुष्टि पासी एवं गिध (1994) द्वारा किए गये शोध अध्ययन से होती है जिसमें उन्होंने सहयोगी, प्रतियोगी एवं उदासीन अधिगम क्रिया-आधारित समूहों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इंदौर शहर के मालवा केम्ब्रिज, न्यू सिटी कॉन्वेंट एवं टैगौर विद्यापीठ हाईस्कूल की सातवीं कक्षा के क्रमशः 40, 40 और 15 छात्रों को चुना। सामान्य ज्ञान पर आधारित इस शोध अध्ययन में इन्होंने पाया कि सहयोगी अधिगम

क्रिया समूह के छात्रों की उपलब्धि उदासीन एवं प्रतियोगी समूह के छात्रों की तुलना में अधिक थी तथा सहयोगी अध्ययन, उदासीन अध्ययन एवं प्रतियोगी अध्ययन क्रमशः 77.13 प्रतिशत, 6.39 प्रतिशत तथा 16.48 प्रतिशत छात्र पसंद करते हैं। इसी तरह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा बी.एड. प्रशिक्षण हेतु अपनाए गए गतिविधि-आधारित कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु किए गए शोधकार्य में वानखेड़े (1992) ने पाया कि गतिविधि-आधारित कार्यक्रम प्रशंसनीय एवं लाचीला है। इसमें छात्र सक्रियता, सहभागिता एवं अधिगम, परंपरागत प्रशिक्षण की तुलना में अधिक होता है। इंदौर के ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) में बेसिक शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु गतिविधि-आधारित कार्यक्रम प्रयोग के तौर पर अपनाया गया जिसमें पाया गया कि इस कार्यक्रम से छात्रों में आपसी सहयोग, आत्मविश्वास एवं सृजनात्मकता में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित ही गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम सहयोग वृद्धि में सहायक होता है क्योंकि गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम में विषयवस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों द्वारा अपनी सूझ-बूझ के आधार पर सामूहिक रूप से गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है जिसमें सभी छात्रों को एक-दूसरे के सहयोग की आवश्कता होती है। इसी सतत सहयोग की आवश्यकता के फलस्वरूप उनमें भावात्मक लगाव उत्पन्न हो जाता है और स्वतः ही छात्रों में सहयोगी भावना की वृद्धि हो जाती है। साथ ही इस पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे दृढ़

सिद्धांतों पर आधारित होता है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी क्रियाओं, तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में स्थिर, प्रगतिवादी एवं व्यापक विचारों वाले सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। अतः निष्कर्षात्मक रूप में कहा जा सकता है कि गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा सहयोगात्मक शिक्षा का विकास किया जा सकता है।

सुझाव

- विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में यथासंभव गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम अपनाना श्रेयस्कर होगा।
- गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम लागू करने हेतु प्रशासकों, अध्यापकों एवं अभिभावकों को तैयार करना होगा।
- अध्यापकों की शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन विधि, एवं छात्रों के साथ अंतःसंबंधों के मापदंडों को बदलना होगा।
- शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को लचीला बनाना होगा।
- स्वअध्ययन सामग्री, सुविधा एवं समय का प्रबंध शिक्षण संस्थाओं में करना होगा।
- सहयोगी अधिगम गतिविधियों को प्रोत्साहित करना होगा।

ग्रंथ सूची

अग्रवाल, जे.सी. 1991. राममूर्ति रिपोर्ट (1990) ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिया. डाबा हाउस, नयी दिल्ली.

गुप्ता, एन.एल. 1998. न्यू एजुकेशन पॉलिसी — ए न्यू एरा इन एजुकेशन. कृष्ण ब्रदर्स, अजमेर.

एन.सी.ई.आर.टी. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

एन.सी.एफ.टी.ई. शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2009. एन.सी.एफ.टी.ई., नयी दिल्ली.